[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION-1]

Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Education (Siksha Mantralaya)
Department of Higher Education (Uchchatar Siksha Vibhag)
ICR Division

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated: 22nd April, 2025

NOTIFICATION

No. 9-5/2024-U.3(A): Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. **And whereas,** an online application was uploaded on UGC's Deemed Universities Application Portal by Film and Television Institute of India Society (FTII Society), Pune for grant of Institution Deemed to be University status under Distinct Category to Film and Television Institute of India (FTII), Pune under Section 3 of the UGC Act, 1956.

3. **And whereas,** UGC, vide its letter No. 30-4/2024 (CPP-I/DU) dated 07.08.2024, informed that UGC Expert Committee, after examining the application as per the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023, recommended that Letter of Intent (LoI) may be issued to FTII Society for fulfilment of certain conditions before declaration of Film and Television Institute of India, Pune as an Institution deemed to be University. The recommendation of UGC Expert Committee was considered and approved by the Commission in its 582nd meeting (Item No. 2.07) held on 24.07.2024.

4. **And whereas**, the Ministry of Education, on the advice of UGC, issued Letter of Intent (LOI) to FTII Society for fulfilment of the certain conditions within a period of three years before declaration of Film and Television Institute of India, Pune as an Institution deemed to be University.

5. **And further whereas**, Director, Film and Television Institute of India, Pune, vide his letter dated 17.01.2025, submitted compliance report of the conditions of the LoI which was then sent to UGC for verification and its advice. UGC placed the compliance report before the same Expert Committee which had recommended for issuance of Letter of Intent (LoI). The Expert Committee accepted the compliance report of the Institution. The recommendation of UGC Expert Committee was considered and approved by the Commission in its 588th meeting (Item No.7.02) held on 13.03.2025.

6. **Now, therefore**, in exercise of powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of the UGC, hereby declares Film and Television Institute of India, Pune as an Institution deemed to be University under distinct category. The said declaration is subject to the following conditions:

दुंका१

i. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution Deemed to be University/or of its constituent teaching units, without prior permission of the UGC and Central Government.

ii. FTII, Pune shall not engage or indulge in any activities that are of commercial and profit making in nature.

iii. The academic programmes to be offered at FTII, Pune shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and the Statutory Councils/Bodies concerned.

iv. FTII, Pune shall start new academic Courses/Programmes, Off-Campus(es), Off-Shore Campus(es) only in accordance with the norms and guidelines issued by the UGC, from time to time, on the subject.

v. FTII, Pune shall take appropriate steps to commence research programmes as well as doctoral and innovative academic programmes. The Institute shall not keep confined only to presently new emerging areas but it make endeavour to expand in other areas in accordance with the UGC Regulations / Guidelines as well as National Education Policy-2020.

vi. FTII, Pune shall take all the required steps to get all the eligible academic courses/programmes rated for valid accreditation by National Board of Accreditation (NBA) and the Institute to get valid accreditation by National Assessment and Accreditation Council (NAAC), as the case may be, in terms of the provisions as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023, as amended from time to time.

vii. All the prescribed norms and procedures of the Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course / programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by FTII, Pune.

viii. FTII, Pune shall submit its revised Memorandum of Association (MoA) / Rules to UGC/ Ministry of Education as per the provisions of the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023 at the earliest. As and when necessary, the Institute shall update or revise or modify its MoA / Rules, as per the provisions of the prevailing Regulations.

ix. FTII, Pune shall follow the fee structure as per the Rules and Regulations of the UGC and relevant Statutory Councils.

x. FTII, Pune shall participate in annual Indian rankings issued by National Institutional Ranking Framework (NIRF) of this Ministry.

xi. FTII, Pune shall compulsorily create Academic Bank of Credits (ABC), identities of their students and upload their credit score in digital lockers and ensure that the credit scores are reflected in ABC Portal and adopt Samarth e-Gov.

पूर्णेन्दु बनर्जी

(Purnendu Kishore Banerjee)
Joint Secretary to the Govt. of India
Tel: +91 11 23383432

The Manager,
Government of India Press,
Minto Road, New Delhi – 110002.

Copy forwarded to:

1. The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi – 110002.
2. The Joint Secretary (Films), Ministry of Information & Broadcasting, Government of India, Shastri Bhawan, New Delhi.
3. The Member Secretary, Film and Television Institute of India Society, Law College Road, Erandwane, Pune – 411001.
4. The Director, Film and Television Institute of India, Pune, Maharashtra.
5. The Principal Secretary, Higher Education Department, Government of Maharashtra.
6. The Secretary, Ministry of Information & Broadcasting, New Delhi
7. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi-110001.
8. The Secretary-General, Association of Indian Universities, A.I.U. House, 16, Kotla Marg, New Delhi - 110002.
9. Joint Director (Administration) & Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi with the request to issue necessary instructions to the CMIS Unit to display this notification on the website of Department of Higher Education.
10. Guard file / Notification file.

(Jyoti Ranjan)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel: +91 11 23381578

[भारत के राजपत्र भाग-I खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

आईसीआर प्रभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 22 अप्रैल, 2025

अधिसूचना

संख्या 9-5/2024-यू.3(ए): जबकि, केंद्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत यूजीसी की सलाह पर, उच्चतर शिक्षा संस्थान को समविश्वविद्यालय संस्थान घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. **और जबकि,** यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई), पुणे को विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत सम विश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा प्रदान करने के लिए भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान सोसायटी (एफटीआईआई सोसायटी), पुणे द्वारा यूजीसी के सम विश्वविद्यालय आवेदन पोर्टल पर एक ऑनलाइन आवेदन अपलोड किया गया था।

3. **और जबकि,** यूजीसी ने दिनांक 07.08.2024 के अपने पत्र संख्या 30-4/2024 (सीपीपी-आई/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि यूजीसी विशेषज्ञ समिति ने यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार आवेदन की जांच करने के बाद सिफारिश की कि भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे को एक सम विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित करने से पहले कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए एफटीआईआई सोसाइटी को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया जा सकता है। यूजीसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर आयोग द्वारा दिनांक 24.07.2024 को आयोजित अपनी 582वीं बैठक (मद संख्या 2.07) में विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

4. **और जबकि,** शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे को एक समविश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित करने से पूर्व तीन वर्ष की अवधि के भीतर कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए एफटीआईआई सोसाइटी को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया।

पूंकिब

5. **और आगे जबकि,** भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे के निदेशक ने दिनांक 17.01.2025 के अपने पत्र के माध्यम से एलओआई की शर्तों की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे सत्यापन और उसकी सलाह के लिए यूजीसी को भेजा गया। यूजीसी ने अनुपालन रिपोर्ट उसी विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखी जिसने आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की सिफारिश की थी। विशेषज्ञ समिति ने संस्थान की अनुपालन रिपोर्ट स्वीकार की। यूजीसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर आयोग द्वारा दिनांक 13.03.2025 को आयोजित अपनी 588वीं बैठक (मद संख्या 7.02) में विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

6. **अब, इसलिए,** यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, एतदद्वारा यूजीसी की सलाह पर, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे को एक विशिष्ट श्रेणी के तहत एक समविश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित करता है। उक्त घोषणा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है:

i. यूजीसी और केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना, समविश्वविद्यालय संस्थान/या इसके घटक शिक्षण इकाइयों की परिसंपत्तियों या निधियों/राजस्व का अन्यत्र उपयोग नहीं किया जाएगा।
ii. एफटीआईआई, पुणे किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो वाणिज्यिक और लाभ कमाने वाली प्रकृति की हो।
iii. एफटीआईआई, पुणे में संचालित किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों/निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप होंगे।
iv. एफटीआईआई, पुणे नए शैक्षणिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम, ऑफ-कैंपस, ऑफ-शोर कैंपस केवल यूजीसी द्वारा समय-समय पर इस विषय पर जारी मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार शुरू करेगा।
v. एफटीआईआई, पुणे अनुसंधान कार्यक्रमों के साथ-साथ डॉक्टरेट और नवीन शैक्षणिक कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए उचित कदम उठाएगा। संस्थान केवल वर्तमान में नए उभरते क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह यूजीसी विनियमों/दिशानिर्देशों के साथ-साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार करने का प्रयास करेगा।
vi. एफटीआईआई, पुणे सभी पात्र शैक्षणिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) द्वारा वैध प्रत्यायन के लिए मूल्यांकित कराने और संस्थान को समय-समय पर संशोधित यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 में निहित प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा वैध मान्यता प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

vii. छात्रों के प्रवेश, छात्रों की प्रवेश क्षमता, शैक्षणिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन का नवीनीकरण, छात्रों की प्रवेश क्षमता में संशोधन, नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू करने आदि के मामले में संबंधित सांविधिक परिषदों के सभी निर्धारित मानदंड और प्रक्रियाएं लागू रहेंगी और एफटीआईआई, पुणे द्वारा उनका पालन किया जाएगा।

viii. एफटीआईआई, पुणे यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार अपना संशोधित संगम ज्ञापन (एमओए)/नियम यूजीसी/शिक्षा मंत्रालय को जल्द से जल्द प्रस्तुत करेगा। जब भी आवश्यक होगा, संस्थान प्रचलित विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने एमओए/नियमों को अद्यतित या संशोधित करेगा।

ix. एफटीआईआई, पुणे यूजीसी और प्रासंगिक सांविधिक परिषदों के नियमों और विनियमों के अनुसार शुल्क संरचना का पालन करेगा।

x. एफटीआईआई, पुणे इस मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) द्वारा जारी वार्षिक भारतीय रैंकिंग में भाग लेगा।

xi. एफटीआईआई, पुणे को अनिवार्य रूप से अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) बनाना होगा, अपने विद्यार्थियों की पहचान करनी होगी तथा उनके क्रेडिट स्कोर को डिजिटल लॉकर में अपलोड करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि क्रेडिट स्कोर एबीसी पोर्टल में दिखाई दें तथा समर्थ ई-गवर्नेंस को अपनाना होगा।

पूकिबनर्जी

(पूर्णेन्दु किशोर बनर्जी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन: +91 11 23383432

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्राणालय,
मिंटो रोड, नई दिल्ली - 110002

प्रतिलिपि अग्रेषित की गई:

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002।
2. संयुक्त सचिव (फिल्म), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. सदस्य सचिव, फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी, लॉ कॉलेज रोड, एरंडवाने, पुणे - 411001।
4. निदेशक, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे, महाराष्ट्र।

5. प्रधान सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार।
6. सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली
7. प्रेस सूचना ब्यूरो, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001.
8. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, ए.आई.यू. हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली - 110002।
9. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) एवं वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे इस अधिसूचना को उच्चतर शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के लिए सीएमआईएस इकाई को आवश्यक निर्देश जारी करें।
10. गार्ड फ़ाइल / अधिसूचना फ़ाइल.

रंजन

(ज्योति रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन: +91 11 23381578